दैनिक निबन्ध ।

(बृहस्पतिवार, तिथि १९ मार्च १९६४ ।)

पृष्ठ ।

सरकारी विधेयक :

विहार पंचायत समितिज ऐंड जिला परिषद्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ (विधान परिषद द्वारा यथापारित) । १—२९

सरकारी उत्तर के उपरान्त उक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वाद-विवाद में आज निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

(१) श्री रमेश झा (प्र० सो० पा०) ।
(२) श्री बासुदेव प्रसाद सिंह (कांग्रेस) ।
(३) श्री रामानन्द सिंह (प्र० सो० पा०) ।
(४) श्री शुकदेव प्रसाद वर्मा (कांग्रेस) ।
(५) श्री तारा प्रसाद बक्शी (स्वतंत्र) ।
(६) श्रीमती राम सुकुमारी देवी, (कांग्रेस) ।
(७) श्री राजकुमार पूर्वे (साम्यवादी) ।
(८) श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल (कांग्रेस) ।
(९) श्री नन्द किशोर सिंह (स्वतंत्र) ।
(१०) श्री एस० के० बागे, मंत्री ।

ध्यानाकर्षण-सूचना :

श्री चन्दू राम (कांग्रेस) ने हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में सरकारी वक्तव्य के लिये बुधवार, २५ मार्च १९६४ की निश्चित की गई । ३०-३१

ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकारी वक्तव्य :

दरभंगा जिला के सरकारी गोदाम से खाद्यान्न की चोरी से सम्बन्धित श्री रमाकान्त झा (प्र० सो० पा०) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में श्री मुंगेरी लाल, मंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया । ३२-३३

राष्ट्रपति से प्राप्त संदेश :

सभा सचिव ने इस आशय का संदेश पढ़ा कि विधान-मंडल द्वारा यथापारित विहार मोलासेज कन्टोल (अमेंडमेंट) विल, १९६४ पर तिथि १२ मार्च, १९६४ को राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है । ३३

आयव्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान :

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
शिक्षा ..	श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, (मंत्री) ।	स्वीकृत। यह मांग तिथि १८ मार्च १९६४ को पेश की गई थी।	३३—५३ तथा ५४—७८

कटौती प्रस्ताव :

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।
सरकार की शिक्षा नीति।	श्री श्याम सुन्दर प्रसाद (स्वतंत्र)।	अस्वीकृत। यह कटौती प्रस्ताव तिथि १८ मार्च, १९६४ को पेश किया गया था।

आजके पुनः वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री जगलाल चौधरी (कांग्रेस)।
(२) श्री अक्षयवट दयाल सिंह (स्वतंत्र)।
(३) ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह (कांग्रेस)।
(४) श्री तेज नारायण झा (साम्यवादी)।
(५) श्री महावीर राउत (कांग्रेस)।
(६) श्री श्रीकृष्ण सिंह (समाजवादी)।
(७) श्री प्रभुनाथ सिंह (कांग्रेस)।
(८) श्री कम्पा मुर्मु (स्वतंत्र)।
(९) श्री इन्द्रमणि सिंह (कांग्रेस)।
(१०) श्री प्रभुनाथ तिवारी (प्र० सो० पा०)।
(११) श्री राणा शिवलाखपति सिंह (कांग्रेस)।
(१२) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, मंत्री।

मेज पर रखे गये कागजात :

बिहार मिनिस्टर्स सैलरीज एंड एलाउएन्सेज (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ (विधान परिषद द्वारा यथापारित)। ५३

उक्त विधेयक की एक प्रति सभा सचिव द्वारा सभा की मेज पर रखी गयी।

घोषणा :

उपाध्यक्ष ने सदन के समक्ष यह घोषणा की कि गत वर्ष की भांति सदस्य संक्षेप में अपना लिखित भाषण आज ५ बजे अपराह्न तक एवं दूसरे किसी मतदान के दिन ५ बजे के पहले दे सकते हैं। ६६

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

वि०स०मु० (एल० ए०) ३९८—मे.नो—७२५—२८-६-१९६५—सी० चौधरी

वैनिक-निबन्ध ।

(शुक्रवार, तिथि २० मार्च, १९६४।)

पृष्ठ

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान :

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
कृषि ..	श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ..	क्रमशः	१—९

कटौती प्रस्ताव :

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
सरकार की कृषि नीति ..	श्री कपिलदेव सिंह ..	क्रमश :	९—२२

प्रस्तावक के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :

(१) श्री शिव पूजन राय (कांग्रेस) ।

(२) श्री मोती राम (स्वतंत्र) ।

(३) श्री शुकदेव प्रसाद वर्मा (कांग्रेस) ।

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :

श्री कर्पूरी ठाकुर (प्र०सो०पा०) ने वारसलीगंज सूगर मिल्स के मालिकों द्वारा बन्द किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में श्री गिरीश तिवारी, राज्य-मंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया । २२-२३

विधान-परिषद् से प्राप्त संदेश :

सचिव ने विधान-परिषद् से प्राप्त इस आशय का संदेश पढ़ा कि विधान परिषद् ने विधान-सभा द्वारा यथापारित बिहार ऐप्रोप्रिएशन (वोट ऑन एकाउन्ट) बिल, १९६४ पर बिना किसी सिफारिश के अपनी सहमति प्रदान की है । २३

आय-व्ययक :

कटौती प्रस्ताव : सरकार की कृषि नीति (क्रमशः) २४—२७

स्वीकृत विधेयक :

बिहार पंचायत समितिज एंड जिला परिषद्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ (विधान-परिषद् द्वारा यथापारित) : २७—४८

उक्त विधेयक पर खंडशः विचार के उपरान्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया तथा विधेयक सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

(१) श्री प्रभुनाथ तिवारी (प्र० सो० पा०)।
(२) श्री कपिलदेव सिंह (प्र०सो०पा०)।
(३) श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल (कांग्रेस)।
(४) श्री शुकदेव प्रसाद वर्मा (कांग्रेस)।
(५) श्री रामराज प्रसाद सिंह (प्र०सो०पा०)।
(६) श्री राणा शिवलाखपति सिंह (कांग्रेस)।
(७) श्री रमेश झा (प्र०सो०पा०)।
(८) श्री जगदीश प्रसाद (जनसंघ)।
(९) श्री विवेकानन्द गिरि (निर्दलीय)।
(१०) श्री ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह (कांग्रेस)।
(११) श्री नन्द किशोर सिंह (स्वतंत्र)।
(१२) श्री तारा प्रसाद बक्शी (स्वतंत्र)।
(१३) श्री ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी (कांग्रेस)।
(१४) श्री रामानन्द सिंह (प्र०सो०पा०)।
(१५) श्री कामदेव प्रसाद सिंह (प्र०सो०पा०)।
(१६) श्री सुशील कुमार बागे, मंत्री।

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार पटना द्वारा मुद्रित।

बि०स०मु० (एल० ए०) २०४—मोमो—८७९—३-३-१९६५—ज० पंडित

दैनिक-निबन्ध ।

पृष्ठ ।

ध्यानाकर्षण सूचना :

श्री राम बरन प्रसाद (प्र० सो० पा०) ने १९६१-६२ में चम्पारण जिले के आदापुर क्षेत्र का गन्ना चीनी मिलों के द्वारा खरीदे जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सरकारी वक्तव्य के लिये तिथि २ अप्रील, १९६४ निश्चित की गई। १—२

ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में सरकारी वक्तव्य :

एक भारतीय को नेपालियों द्वारा पीटे जाने के बावजूद भी रक्सौल पुलिस द्वारा बचाने में असफलता से संबंधित श्री रऊफुल आजम (स्वतंत्र) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में श्री नवल किशोर सिंह, राज्यमंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया। २

कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :

उक्त समिति के प्रतिवेदन के संबंध में श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल ने संशोधन पेश किया जो सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। ३—५

१९६३-६४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान : ५-६

मांग ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।
कर ..	.. श्री अम्बिका सिंह, राज्यमंत्री	.. स्वीकृत ।
भू-राजस्व ..	.. श्री अम्बिका सिंह, राज्यमंत्री	.. स्वीकृत ।

कटौती प्रस्ताव । --

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
कर संबंधी मांग का औचित्य ..	श्री कामदेव प्रसाद सिंह (प्र०सो०पा०) ..	अस्वीकृत	६—१८
किसनगंज सबडिवीजन में भूमि के रैयतों को १०० परसेंट मुआवजा नहीं दिया जाना।	श्री मोहम्मद हुसैन आजाद (स्वतंत्र)	अस्वीकृत	
राजस्व प्रशासन पर किये गये व्यय की उपयोगिता।	श्री रमेश झा (प्र०सो०पा०) ..	अस्वीकृत	

आय-व्यय में सम्मिलित अन्य सभी शेष मांगें----उपाध्यक्ष द्वारा सदन के सामने रखी गई एवं स्वीकृत हुयीं।

मांग तथा कटौती के प्रस्ताव के वाद-विवाद में प्रस्तावकों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-- १८--५४

(१) श्री कपिलदेव सिंह, (प्र० सो० पा०) ।

(२) श्री रमेश झा, (प्र० सो० पा०) ।

(३) श्री नन्द किशोर सिंह (स्वतंत्र) ।

(४) श्री मुंद्रिका सिंह, (प्र० सो० पा०) ।

(५) श्री राजमंगल मिश्र, (कांग्रेस) ।

(६) श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह, (प्र० सो० पा०) ।

(७) श्री श्याम सुन्दर प्रसाद (स्वतंत्र) ।

(८) श्री श्रीकृष्ण सिंह, (समाजवादी) ।

(९) श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, (कांग्रेस) ।

(१०) श्री कर्पूरी ठाकुर (प्र० सो० पा०) ।

(११) श्री प्रेमचन्द मिश्र (कांग्रेस) ।

(१२) श्री रऊफुल आजम (स्वतंत्र) ।

(१३) श्री युवराज (प्र० सो० पा०) ।

(१४) श्री राजकुमार पूर्वे (साम्यवादी) ।

(१५) श्री वीरचन्द पटेल, मंत्री ।

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ एवं २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं राजकीय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

बि०स०मु० (एल० ए०) २०३--मोन--८७२--१--१२-४-१९६५--ज० पंडित

दैनिक निबन्ध।

(मंगलवार, तिथि २४ मार्च १९६४।)

अध्यादेश की स्वीकृति के संबंध में संकल्प— पृष्ठ

श्री कामदेव प्रसाद सिंह (प्र० सो० पा०) ने विहार मिनिस्टर्स सैलरीज् एंड एलाउएन्सेज् (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, १९६३ की अस्वीकृति के संबंध में संकल्प उपस्थित किया। वाद-विवाद में प्रस्तावक के अतिरिक्त श्री राजकुमार पूर्वे (साम्यवादी) तथा श्री नवल किशोर सिंह, राज्य-मंत्री ने भाग लिया। १ २-६

सरकारी उत्तर के उपरान्त संकल्प अस्वीकृत हुआ।

सरकारी विधेयक—

बिहार मिनिस्टर्स सैलरीज् एण्ड एलाउऐंसेज् (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ (विधान परिषद् द्वारा यथा पारित)। ६—२३

उक्त विधेयक पर श्री नवल किशोर सिंह, राज्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया विचार का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद विधेयक पर खंडशः विचार-विमर्श हुआ। विधेयक बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ। वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री रामानन्द तिवारी (प्र० सो० पा०)
(२) श्री रामराज सिंह (प्र० सो० पा०)
(३) श्री कपिलदेव सिंह (प्र० सो० पा०)
(४) श्री रामानन्द सिंह (प्र० सो० पा०)
(५) श्री नन्द किशोर सिंह (स्वतंत्र)
(६) श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (कांग्रेस)।
(७) श्री रमेश झा (प्र० सो० पा०)
(८) श्री श्याम सुन्दर प्रसाद (स्वतंत्र)
(९) श्री महेश प्रसाद सिंह, मंत्री

ध्यानाकर्षण सूचना—

श्री सभापति सिंह (प्र० सो० पा०) ने गन्ने की कीमत के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में सरकारी वक्तव्य (ईख विभाग) के लिये ५ अप्रील १९६४ की तिथि निश्चित की गई। २३-२४

स्थगन प्रस्ताव—

उपाध्यक्ष ने श्री जनार्दन तिवारी (जनसंघ) द्वारा प्रदत्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत किया। २४

संदेश—

पृष्ठ

सचिव ने विधान परिषद् से प्राप्त इस आशय का संदेश पढ़ा कि विधान-सभा द्वारा यथा पारित बिहार एप्रोप्रियेशन (एक्सेस एक्पेंडीचर १९५४-५५, १९५५-५६ एण्ड १९५६-५७) बिल, १९६४ पर विधान परिषद् दिनांक २३ मार्च १९६४ को बिना किसी सिफारिश के अपनी सहमति प्रदान की है। २५

सरकारी विधेयक—

बिहार मिनिस्टर्स सलेरीज एेन्ड एलाउएन्सज (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ (परिषद म उद्भूत)। २५—३७

बिहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९६४, श्री अम्बिका सिंह, राज्यमंत्री ने उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने के उपरान्त विचार का प्रस्ताव उपस्थित किया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। खण्डशः विचार के उपरान्त विधेयक बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ। ३८—६६

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

(१) श्री इन्द्रनारायण सिंह (स्वतंत्र)
(२) श्री दिलकेश्वर राम (कांग्रेस)
(३) श्री रमाकान्त झा (प्र० सो० पा०)
(४) श्री यदुनन्दन झा (कांग्रेस)
(५) श्री वैद्यनाथ यादव (साम्यवादी)
(६) श्री राम गुलाम चौधरी (कांग्रेस)
(७) श्री गौरी शंकर केशरी (जनसंघ)
(८) श्री कमलनाथ झा (कांग्रेस)।
(९) श्री तुलसीदास मेहता (समाजवादी)
(१०) श्री रउफुल आजम (स्वतंत्र पार्टी)
(११) श्री अम्बिका सिंह, राज्यमंत्री

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि०स०मु० (एल०ए०) ४००—८७१—मोनो—१५-६-१९६५—निर्मल

दैनिक निबन्ध ।

बुधवार, तिथि २५ मार्च, १६६४ ।

ध्यानाकर्षण सूचना—

पृष्ठ

श्री कर्पूरी ठाकुर (प्र० सो० पा०) ने राजकीय मुद्रणालय, गुलजार-बाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सरकारी वक्तव्य के लिये तिथि १ अप्रील, १९६४ निश्चित की गई। १—२

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य—

(क) जमशेदपुर नोटीफाइड एरिया कमिटी के अन्तर्गत इस्ट प्लान्ट बस्ती के निवासियों को टिस्को के अधिकारियों द्वारा बल पूर्वक घरों से बेदखल किये जाने की घटना से सम्बन्धित श्री रामावतार सिंह (साम्यवादी) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचना के सम्बन्ध में आज सरकारी वक्तव्य दिया जाने वाला था उसे सोमवार, तिथि ६ अप्रील, १६६४ तक स्थगित किया गया। २

(ख) हरिजनों के भवन-निर्माण तथा हरिजन छात्रों की छात्रवृति से सम्बन्धित श्री चन्दू राम (कांग्रेस) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचना के सम्बन्ध में श्री डूमर लाल बैठा राज्य मंत्री ने सरकार की ओर से एक आंशिक वक्तव्य दिया। सम्पूर्ण वक्तव्य बाद में दिया जायगा। २—४

मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य—

जमशेदपुर तथा राज्य के अन्य जगहों की साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में आज मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया। ४—८

मेज पर रखा गया प्रतिवेदन—

श्री महेश प्रसाद सिंह, मंत्री ने बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के १६६१-६२ वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा मेज पर रखी। ८

आय व्ययक अनुदानों की मांगों पर मतदान (क) कृषि—

सरकार की कृषि नीति सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव पर आज पुनः वादविवाद प्रारम्भ हुआ। सरकारी उत्तर के उपरान्त कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मांग स्वीकृत हुई। वादविवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:— ८—४५

(१) श्री सुखदेव प्र० वर्मा (कांग्रेस)।

(२) श्री नन्दकिशोर सिंह (स्वतंत्र)।

(३) श्री शफी कुल्लाह अंसारी (कांग्रेस)। पृष्ठ
(४) श्री सूरज प्रसाद (साम्यवादी)।
(५) श्री दासू सिंह (कांग्रेस)।
(६) श्री राम चरण सिंह (प्र० सो० पा०)।
(७) श्री मेदनी पासवान (कांग्रेस)।
(८) श्री जय कुमार सिंह (साम्यवादी)।
(९) श्री राम यतन सिंह (कांग्रेस)।
(१०) श्री गोखुलेश्वर मिश्र (स्वतंत्र)।
(११) श्री जागेश्वर चौधरी (स्वतंत्र)।
(१२) श्री मुंद्रिका सिंह (प्र० सो० पा०)।
(१३) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, मंत्री।

व्याज सहित ऋण तथा अग्रिम—

श्री नवल किशोर सिंह, राज्यमंत्री ने व्याज सहित ऋण तथा अग्रिम सम्बन्धी मांग पेश की। श्री विन्देश्वरी प्र० मंडल (कांग्रेस) ने ऋण तथा अग्रिम सम्बन्धी प्रशासन के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव पेश किया। समयाभाव के कारण उपाध्यक्ष ने कटौती प्रस्ताव सम्बन्धी प्रश्न सदन के सामने रखा जो अस्वीकृत हुआ तथा मांग सदन द्वारा स्वीकृत हुई। ४६—४७

बिहार विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०२ एवं नियम २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय शाखा मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि० स० शा० मु० (एल० ए०) २०७/३—८७३+१—२५-३-१९६५—रा० ना० सिंहा

दैनिक-निबन्ध ।

(बृहस्पतिवार, तिथि २६ मार्च १९६४) ।

पृष्ठ ।

स्थगन प्रस्ताव :

उपाध्यक्ष ने श्री तेजनारायण झा (साम्यवादी) द्वारा दिये गये स्थगन-प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत किया । १

ध्यानाकर्षण-सूचना :

श्री महम्मद हुसैन आजाद (स्वतंत्र) ने पूर्णिया जिले के रतनपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय के आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया । इस सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्य के लिए शुक्रवार, ३ अप्रील १९६४ की तिथि निश्चित की गई । १-२

मेज पर रखे गये कागजात :—

श्री शिवशंकर सिंह, राज्य मंत्री ने निम्नलिखित कागजात की एक-एक प्रति सभा की मेज पर रखी : २-३

(*i*) बिहार पंचायत समितिज एँड जिला परिषद्स (एलेक्शन को-ऑपरेशन एँड एलेक्शन पिटिशन्स) रूल्स, १९६३ ;

(*ii*) बिहार पंचायत समितिज एँड जिला परिषद्स (कंडक्ट ऑफ बिजिनेस) रूल्स, १९६३ ।

(*iii*) बिहार पंचायत समितिज (सुपरविजन एँड कंट्रोल बाई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स) रूल्स, १९६३ ।

(*iv*) बिहार पंचायत समितिज एँड जिला परिषद्स (प्रोसिड्योर फौर फ्रेमिंग बाई लाज) रूल्स, १९६३ ।

नियमापत्ति पर निर्णय :

श्री शिवशंकर सिंह, राज्यमंत्री द्वारा उद्योग सम्बन्धी मांग को पेश करने में श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह (प्र०सो०पा०) द्वारा उठायी गयी नियमापत्ति पर उपाध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दिया । ३

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान :

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
उद्योग ..	श्री शिवशंकर सिंह ..	स्वीकृत ..	४—६

कटौती प्रस्ताव :

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	पृष्ठ ।
सरकार की औद्योगिक नीति ।	श्री सुनील मुखर्जी ..	अस्वीकृत ..	६—१०

वाद-विवाद में प्रस्तावक के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१)	श्री रघुनन्दन राम (कांग्रेस)	१०—१२
(२)	श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी (स्वतंत्र)	१३
(३)	श्री सूरज नारायण सिंह (प्र०सो०पा०)	१३—१८
(४)	श्री शिवराज प्रसाद (कांग्रेस)	१८—२२
(५)	श्री रमाकान्त झा (प्र०सो०पा०)	२२—२४
(६)	श्री कामदेव प्रसाद सिंह (प्र०सो०पा०)	२४—२६
(७)	श्री गुठली सिंह (कांग्रेस)	२६-२७
(८)	श्री जयकुमार सिंह (समाजवादी)	२८
(९)	श्री रामनारायण चौधरी (कांग्रेस)	२८—३१
(१०)	श्री गौरी शंकर केसरी (जनसंघ)	३१—३३
(११)	श्री रामदेनी राम (कांग्रेस)	३३-३४
(१२)	मोतीराम (स्वतंत्र)	३५-३६
(१३)	श्री श्याम नारायण पांडेय (कांग्रेस)	३६-३७
(१४)	श्री शिवशंकर सिंह, राज्य मंत्री	३७—३९

घोषणा :

उपाध्यक्ष ने प्राक्कलन समिति के सदस्यों के निर्वाचन की तिथि के सम्बन्ध में घोषणा की ।

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान :

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
श्रम एवं नियोजन ..	श्री बालेश्वर राम ..	स्वीकृत ..	३९-४०

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

बि०स०मु० (एल०ए) ३५२—मोनो—७००—१०-७-१९६५—सु० जी० पाठक

वैनिक-निबंध ।

(शुक्रवार, तिथि ३ अप्रील, १९६४ ।)

पृष्ठ ।

स्थगन प्रस्ताव :

(१) उपाध्यक्ष ने आज तीन स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत किया १

ध्यानाकर्षण-सूचना :

(१) श्री रामानन्द तिवारी ने वेतन पुनरीक्षिण समिति के प्रतिवेदन पर कारंवाई के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में सरकारी वक्तव्य (वित्त विभाग) के लिये मंगलवार, तिथि १४ अप्रील १९६४ की तिथि निश्चित की गई। १—३

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :

(१) राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग के कर्मचारियों से संबद्ध श्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण-सूचना के संबंध में श्री अम्बिका सिंह, राज्यमंत्री ने सरकार की ओर से वक्तव्य दिया। २—६

(२) १९६१-६२ में चम्पारण जिले के आदापुर क्षेत्र का गन्ना चीनी मिलों के द्वारा खरीदे जाने से संबद्ध श्री रामवरण प्रसाद द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण-सूचना के संबंध में श्री गिरीश तिवारी, राज्यमंत्री ने सरकार की ओर से वक्तव्य दिया। ६

(३) पूर्णिया जिला के उच्च माध्यमिक विद्यालय, रतनपुर से संबद्ध श्री मुहम्मद हुसैन आजाद द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षन-सूचना के संबंध में श्री गिरीश तिवारी, राज्यमंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया। ६-७

प्रवर समिति का प्रतिवेदन :

श्री गिरीश तिवारी, राज्यमंत्री ने अनुग्रह नारायण सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टडीज बिल, १९६३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया। ७

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान :

मांग का विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
बहुधंधी नदी योजना सहित सिंचाई	श्री महेश प्र० सिंह, सिंचाई मंत्री ।	स्वीकृत ..	८—११

कटौती प्रस्ताव ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
विषय, सरकार की सिंचाई नीति ..	श्री सूरज सिंह ..	अस्वीकृत ..	११—३४

इस विषय से संबंद्ध वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :--

(१) श्री जनक सिंह (कांग्रेस)।
(२) श्री रउफुल आजम (स्वतंत्र)।
(३) श्री शीतल प्रसाद भगत (कांग्रेस)।
(४) श्री परमेश्वर कुंवर (प्र० सो० पा०)।
(५) श्रीमती राम सुकुमारी देवी (कांग्रेस)।
(६) श्री श्रीकृष्ण सिंह (समाजवादी)।
(७) श्री हेमलाल प्रगनैत (स्वतंत्र)।
(८) श्री प्रेमचन्द्र मिश्र (कांग्रेस)।
(९) श्री सहदेव महतो (राज्यमंत्री)।
(१०) श्री कृष्ण बल्लभ सहाय (मुख्य मंत्री)।

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि०स०मु० (एल०ए०) २१६—८९५—नोनो—२२-४-६५—कि०न प्र०सिन्हा

दैनिक-निबन्ध।

(सोमवार, तिथि ६ अप्रील, १९६४।)

पृष्ठ।

ध्यानाकर्षण-सूचना—

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह (प्र० सो० पा०) ने महनार राजकीय अस्पताल में डाक्टर की उपेक्षा से रोगिणी की मृत्यु सम्बन्धी घटना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में श्री नवल किशोर सिंह, राज्य मंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया। १—२

ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य—

(क) ईख को कोनत से सम्बन्धित श्री सभापति सिंह (प्र० सो० पा०) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचना के सम्बन्ध में श्री गिरीश तिवारी, राज्य-मंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया। २—३

(ख) जमशेदपुर के पूर्वी भाग में बसी बस्तियों को खाली कराये जाने से संबंधित श्री रामावतार सिंह (साम्यवादी) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में श्री नवल किशोर सिंह, राज्य मंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया। ३

मेज पर रखे गये कागजात—

मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन ४

श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह, राज्य मंत्री ने उक्त रूल्स में राज्यपाल द्वारा किये जाने वाले संशोधन की एक प्रति सभा-मेज पर रखी।

अध्यक्ष की घोषणाः—

अध्यक्ष ने सभा को यह सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान-सभा तथा उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के बीच विशेषाधिकार सम्बन्धी वैधानिक मामला जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और उसमें बिहार विधान-सभा एवं अध्यक्ष की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिये सुप्रीम कोर्ट से जो नोटिस मिली है उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ४

आय-व्ययकः अनुदानों की मांगों पर मतदान :

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।	५—८
सड़क तथा जल यातायात योजनाओं पर पूंजी उद्व्यय।	श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह (राज्य-मंत्री।)	स्वीकृत।	

पृ ५८

कटौती प्रस्ताव:—

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	९—४०
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में परियाप्त जातीयता, पक्षपात एवं भ्रष्टाचार ।	श्री कर्पूरी ठाकुर (प्र० सो० पा०) ।	अस्वीकृत ।	

वाद-विवाद में प्रस्तावकों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह। (कांग्रेस) ।
(२) श्री नन्द किशोर सिंह । (स्वतंत्र) ।
(३) श्री शिवरतन सिंह । (कांग्रेस) ।
(४) श्री मुद्रिका सिंह । (प्र० सो० पा०) ।
(५) श्री कोलेश्वर दास । (कांग्रेस) ।
(६) श्री वैद्यनाथ यादव । (साम्यवादी) ।
(७) श्री राम लाल दास । (कांग्रेस) ।
(८) श्री रामसेवक सिंह । (समाजवादी) ।
(९) ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह। (कांग्रेस) ।
(१०) श्री जगदीश प्रसाद । (जनसंघ) ।
(११) श्री राजपति राम। (कांग्रेस) ।
(१२) श्री रउफुल आजम । (स्वतंत्र) ।
(१३) श्री देवेन्द्र झा। (प्र० सो० पा०) ।
(१४) श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह। (राज्य-मंत्री) ।

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

बि०स०मु० (एल० ए०) ४०८—८७१— मोनी—४-९-१९६५—समाप्त

दैनिक निबन्ध ।

(मंगलवार, तिथि ७ अप्रील १९६४ ।)

पृष्ठ ।

अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :

श्री कामदेव प्रसाद सिंह (प्र० सो० पा०) ने देवघर में नलकूप द्वारा पेयजल की आपूर्त्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में सरकारी वक्तव्य के लिये मंगलवार, १४ अप्रील १९६४ की तिथि निश्चित की गई। १-२

राज्यपाल से प्राप्त संदेश :

सचिव ने राज्यपाल से प्राप्त यह संदेश पढ़ा कि राज्यपाल महोदय ने ३१ मार्च, १९६४ को बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर अपनी अनुमति प्रदान की है :— २

(१) बिहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९६४।

(२) बिहार एप्रोप्रियेशन (वोट ऑन एकाउन्ट) बिल, १९६४।

(३) बिहार एप्रोप्रियेशन (एक्सेस) एक्सपेंडिचर १९५४-५५, १९५५-५६ एँड १९५६-५७) बिल, १९६४।

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान :

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।	२—७
चिकित्सा ..	श्री अब्दुल क्यूम अन्सारी (स्वास्थ्य मंत्री)।	स्वीकृत।	

कटौती प्रस्ताव :

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।	२—४१
राज्य सरकार की चिकित्सा नीति।	श्री रमेश झा (प्र० सो० पा०)	अस्वीकृत।	

वाद-विवाद में प्रस्तावक के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) डॉ० बी० एन० राय (कांग्रेस)।

(२) श्री कुलदीप महतो (स्वतंत्र)।

(३) श्री मोहन लाल गुप्त (कांग्रेस)।

(४) श्री विवेकानन्द गिरि (निर्दलीय)।

(५) श्री महावीर राउत (कांग्रेस)।

(६) श्री राजकुमार पूर्वे (साम्यवादी)।

(७) श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल (कांग्रेस)।

(८) श्री कपिलदेव सिंह (प्र० सो० पा०)।

(९) श्री नवल किशोर सिंह (राज्य मंत्री)।

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

सि०स०मु० (एल० ए०) २१८—मोनो—८७१—१-५-१९६५—निसेम

दैनिक निबन्ध।

पृष्ठ

(बुधवार, तिथि ८ अप्रील, १९६४।)

ध्यानाकर्षण सूचना :

श्री कर्पूरी ठाकुर, स०वि०स० ने मुंगेर जिला के बरौनी अंचल के आसपास के गांवों में सरकार द्वारा किए गए भूमि अर्जन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में सरकारी वक्तव्य के लिए तिथि १४ अप्रील, १९६४ निश्चित की गई। १-२

घोषणा :

प्राक्कलन समिति के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में अध्यक्ष ने यह घोषणा की कि मतदान का कार्य तिथि १० अप्रील, १९६४ को साढ़े ९ बजे पूर्वाह्न से साढ़े १२ बजे अपराह्न तक होगा। मतदान के बाद मतगणना उसी दिन २ बजे अपराह्न से प्रारंभ होगा। २-३

मेज पर रखे गये कागजात :

(क) श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल, सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ने उक्त समिति का षष्ट प्रतिवेदन सभा के समक्ष उपस्थित किया।

(ख) श्री सहदेव महतो, राज्य मंत्री ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के १९६४-६५ वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण की एक प्रति सभा के समक्ष रखी।

(ग) श्री नवल किशोर सिंह, राज्य मंत्री ने बिहार एनाटोमी रूल्स, १९६३ की एक प्रति सभा के समक्ष रखी।

आय-व्ययक :

मांग का विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।	
भू-आगम (लैंड रेवेन्यू) ..	श्री वीरचन्द पटेल, मंत्री ..	स्वीकृत।	४—१०

कटौती प्रस्ताव :

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।
सरकार की राजस्व नीति ..	श्री युवराज (प्र०सो०पा०) ..	अस्वीकृत।

मांग तथा कटौती प्रस्ताव के वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :— १०—३९

(१) श्री गुठली सिंह (कांग्रेस)।
(२) श्री शंकर प्रताप देव (स्वतंत्र)।

पृष्ठ

(३) श्री मंगल चरण सिंह (कांग्रेस)।
(४) श्री तेज नारायण झा (साम्यवादी)।
(५) श्रीमती लीला देवी (कांग्रेस)।
(६) श्री कर्पूरी ठाकुर (प्र०सो०पा०)।
(७) श्री रामाचरण शुक्ल (कांग्रेस)।
(८) श्री जगदीश प्रसाद (जन-संघ)।
(९) श्री रामेश्वर मांझी (कांग्रेस)।
(१०) श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (स्वतंत्र)।
(११) श्री सभापति सिंह (प्र०सो०पा०)।
(१२) श्री वीरचन्द पटेल (मंत्री)।

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि० स० मु० (एल०ए०) १९७—मोनो—८७१—११-२-१९६५—टीडीएस एवं अन्य।

(बृहस्पतिवार, तिथि ९ अप्रील १९६४ ।)

पृष्ठ ।

अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :

श्री सरयू मिश्र (प्र० सो० पा०) ने पूर्णिया जिले में किसानों को भूमि से बेदखल किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में सरकारी वक्तव्य के लिये मंगलवार, १४ अप्रील १९६४ की तिथि निश्चित की गई। १-२

सरकारी कर्मचारियों के लिये अंतरिम सहायता के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य : २—४

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय, मुख्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य देते हुए सरकार के इस निर्णय को सदन के समक्ष रखा कि सरकारी कर्मचारियों को उनके वर्तमान पारिश्रमिक का १० प्रतिशत विशेष जीवन-निर्वाह भत्ता के रूप में दिया जाय जो कम-से-कम १० रु० और अधिक-से-अधिक ३० रुपया तक हो। यह विशेष जीवन-निर्वाह भत्ता पहली अप्रील, १९६४ से लागू होगा और सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वर्तमान पारिश्रमिक ५०० रु० से अधिक नहीं है।

बिहार विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य:

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, शिक्षा मंत्री ने बिहार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अपनी मांगों की पूर्त्ति के लिये की गई हड़ताल के संबंध में आज एक वक्तव्य देते हुए सदन को इस बात से सूचित किया कि उक्त हड़ताल गत ५ अप्रील की शाम को बिना किसी शर्त्त के उठा ली गई है और विद्यार्थियों ने इस मामले को मुजफ्फरपुर की नागरिक समिति के हाथों में सौंप दिया है। ४-५

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान :

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
			६—११
वन ..	श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह (राज्यमंत्री)।	स्वीकृत ।	

कटौती प्रस्ताव :

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
सरकार की वन्य नीति ..	श्री चन्द्र किशोर सिंह (स्वतंत्र)	अस्वीकृत ।	११-१२

वाद-विवाद में प्रस्तावकों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री चेतू राम (कांग्रेस)।
(२) श्री कपिलदेव सिंह (प्र० सो० पा०)
(३) श्री रघुनन्दन राम (कांग्रेस)।
(४) श्री बस्ता सोरेन (साम्यवादी)।
(५) श्री सनातन समद (कांग्रेस)।
(६) श्री श्रीकृष्ण सिंह (समाजवादी)।
(७) श्री नरसिंह बैठा (कांग्रेस)।
(८) श्री कम्पा मूर्मू (स्वतंत्र)।
(९) श्री कृष्ण बल्लभ सहाय, मुख्य मंत्री।

प्राक्कलन समिति के चुनाव के संबंध में घोषणा:

उपाध्यक्ष ने यह घोषणा की कि सदस्यों की सुविधा को देखते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राक्कलन समिति के चुनाव की तिथि १० अप्रील से बढ़ाकर १४ अप्रील, १९६४ कर दी गई है। अब वह चुनाव १४ अप्रील को ११ बजे पूर्वाह्न से २ बजे अपराह्न तक होगा और मतगणना उसी दिन ३ बजे अपराह्न से होगी। १३—३९

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि०स०मु० (एल० ए०) २३२—मोनो—८७२—१-५-१९६५—टीडीएस।

दैनिक-निबन्ध।

(शुक्रवार, तिथि १० अप्रील १९६४।).

पृष्ठ।

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान.....

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।	
			१--५
सामान्य प्रशासन ..	श्री नवल किशोर सिंह (राज्य-मंत्री)।	(वाद-विवाद असमाप्त रहा)।	

कटौती प्रस्ताव :

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।	
सामान्य प्रशासन ..	श्री कामदेव प्रसाद सिंह (प्रसोपा)।	(वाद-विवाद असमाप्त रहा)।	६--२१

वाद-विवाद में दोनों प्रस्तावकों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

(१) श्री विश्वनाथ राय (कांग्रेस)।

(२) श्री रामानन्द सिंह (प्रसोपा)।

(३) श्री सत्यदेव प्रसाद चौधरी (कांग्रेस)।

(४) श्री रामपुकार सिंह (स्वतंत्र)।

श्री रामपुकार सिंह का भाषण असमाप्त रहा।

ध्यानाकर्षण सूचना :

श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल (कांग्रेस) ने सहरसा जिले के शबेला ग्राम में ऋण-वसूली के सिलसिले में वहां के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ एक दंडाधिकारी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में सरकारी वक्तव्य (राजनीति-सामान्य विभाग) के लिये मंगलवार तिथि १४ अप्रील की तिथि निश्चित की गई। २१–२२

कटौती प्रस्ताव : राज्य समान्य प्रशासन (क्रमश.) २२--२६

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०३ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

वि०स०मु० (एल० ए०) २५९—मोनो—८७२—२७-३-१९६५—ज० पंडित

दैनिक-निबन्ध ।

(सोमवार, तिथि १३ अप्रील, १९६४।)

पृष्ठ ।

ध्यानाकर्षण सूचना :

श्री युवराज (प्रजा समाजवादी सदस्य) ने पूर्णियां जिले के ग्राम भवानीपुर के मुखिया पर विकास पदाधिकारी द्वारा कड़े वारन्ट निकाले जाने एवं उनके साथ किये गये दुर्व्यवहार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में सरकारी वक्तव्य से शुक्रवार, १७ अप्रील १९६४ को तिथि निश्चित की गई। १-२

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान : २—४७

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
सामान्य प्रशासन ..	श्री नवल किशोर सिंह (राज्य प्रशासन मंत्री)	स्वीकृत ..	यह प्रस्ताव तिथि १० अप्रील १९६४ को पेश किया गया था और इस पर वाद-विवाद तिथि १० अप्रील १९६४ से जारी था।

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री महावीर राउत (कांग्रेस)।
(२) श्री चंद्रशेखर सिंह (साम्यवादी)।
(३) श्री मंगल प्रसाद यादव (कांग्रेस)।
(४) श्री अक्षयवट दयाल सिंह (स्वतंत्र)।
(५) श्री मौलवी समीउद्दीन (कांग्रेस)।
(६) श्री रामानन्द तिवारी (प्रसोपा)।
(७) श्री केदार नारायण सिंह 'आजाद' (कांग्रेस)।
(८) श्री द्वारेश्वर घोष (निर्दलीय)।
(९) श्री हरिश्चन्द्र झा (कांग्रेस)।
(१०) श्री जयकुमार सिंह (समाजवादी)।
(११) श्री बबुएलाल महतो (कांग्रेस)।
(१२) श्री गोपाल रविदास (स्वतंत्र)।
(१३) श्री महेश प्रसाद सिंह (कांग्रेस)।
(१४) श्री कृष्ण वल्लभ सहाय (मुख्य मंत्री)।

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि० स० मु० (एल०ए०) २१३—मोनो—८७१—१०-५-१९६५—वीणा सिंह

दैनिक निबन्ध ।

(मंगलवार, तिथि १४ अप्रील, १९६४ ।)

पृष्ठ ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव—

अध्यक्ष ने श्री रऊफुल आजम (स्वतंत्र) द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत कर दिया । १

ध्यानाकर्षण सूचनायें—

श्री एक नारायण चौधरी (कांग्रेस) ने जहानाबाद जेल के जेलर श्री भगवान प्रसाद के द्वारा चौदह-वर्षीय बालक कैदी, श्री अम्बिका सिंह के साथ अमानुषिक एवं अप्राकृतिक व्यभिचार किये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया । इस संबंध में सरकारी वक्तव्य के लिए वृहस्पतिवार, १६ अप्रील १९६४ की तिथि निश्चित की गई । १–२

वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित श्री रामानन्द तिवारी (प्र० सो० पा०) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में सरकार की ओर से वक्तव्य देने की तिथि १७ अप्रील, १९६४ निश्चित की गई । ३

ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकारी वक्तव्य—

देवघर जलापूर्त्ति योजना से संबंधित श्री कामदेव प्रसाद सिंह (प्र० सो० पा०) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचना के सम्बन्ध में श्री रामलखन सिंह यादव, मंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया । ३–४

ध्यानाकर्षण-सूचना—

बरौनी अंचल के आसपास के गांवों में भू-अर्जन से सम्बन्धित श्री कर्पूरी ठाकुर (प्र० सो० पा०) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में सरकार की ओर से वक्तव्य देने की तिथि २१ अप्रील १९६४ (मंगलवार) निश्चित की गई । ४

पृष्ठ ।

ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य—

पूर्णिया जिले में किसानों के उजाड़े जाने के सम्बन्ध में श्री सरयू मिश्र (प्र० सो० पा०) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में श्री वीरचन्द पटेल, मंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया । ४–६

सहरसा के दंडाधिकारी द्वारा ऋण की गैर-कानूनी वसूली से सम्बन्धित श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में श्री नवल किशोर सिंह, राज्य मंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया । ६–७

घोषणा—

अध्यक्ष ने सदन को यह सूचित किया कि उच्च न्यायालय, पटना के निर्णयानुसार श्री नारायण विक्रम शाह बिहार विधान-सभा के रामनगर निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य बने रहेंगे । ७

आय-व्ययक: अनुदानों की मांगों पर मतदान:

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
सहकारिता	श्री हरिनाथ मिश्र (मंत्री) ..	स्वीकृत ।	७—१३

कटौती प्रस्ताव:

विषय ।	प्रस्तावक ।	परिणाम ।	
राज्य सरकार की सहकारिता नीति ।	श्री रामराज प्रसाद सिंह (प्र० सो० पा०) ।	अस्वीकृत ।	१३—४०

इन पर हुए वाद-विवाद में प्रस्तावकों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री शफीकुल्लाह अंसारी (कांग्रेस) ।
(२) श्री गोखुलेश्वर मिश्र (स्वतंत्र) ।
(३) श्री साइमन उरांव (कांग्रेस) ।
(४) श्री पीताम्बर सिंह (साम्यवादी) ।
(५) श्री जनक सिंह (कांग्रेस) ।
(६) श्री गौरी शंकर केसरी (जनसंघ) ।
(७) श्री शुकदेव प्रसाद वर्मा (कांग्रेस) ।
(८) श्री तुलसी दास मेहता (समाजवादी) ।

(९) श्री राजमंगल मिश्र (कांग्रेस) ।

(१०) श्री मोती राम (स्वतंत्र) ।

(११) श्री रामकृष्ण राम (स्वतंत्र) ।

(१२) श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह (प्र० सो० पा०) ।

(१३) श्री हरिनाथ मिश्र, मंत्री ।

कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सहमति—

श्री सुशील कुमार बागे, मंत्री ने १४ अप्रील, १९६४ की कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सहमति का प्रस्ताव रखा जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ । १७

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

बि० स० मु० (एल० ए०) ३९१--म.नो--७०११७-६-१९६५—ग०ब०म० ।

दैनिक निबंध।

(वृहस्पतिवार, तिथि १६ अप्रील १९६४।)

पृष्ठ

ध्यानाकर्षण सूचना —

श्री तेज नारायण झा (साम्यवादी) ने मुंगेर जिलान्तर्गत बछवाड़ा थाना में हरिजनों को जमीन दिलाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में श्री वीरचन्द पटेल, राजस्व मंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया। १—३

ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकारी वक्तव्य —

श्री अम्बिका सिंह नामक एक चौदह वर्षीय बालक पर जहानाबाद जेल के जेलर श्री भगवान प्रसाद के द्वारा अमानुषिक एवं अप्राकृतिक व्यभिचार किये जाने से संबंधित श्री एक नारायण चौधरी (कांग्रेस) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण-सूचना के संबंध में श्री नवल किशोर सिंह, राज्य मंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया। ४

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान :—

विषय।	प्रस्तावक। परिणाम		
लोक-निर्माण	श्री राम लखन सिंह यादव (मंत्री)	(स्वीकृत)	४—११

कटौती-प्रस्ताव :—

लोक-निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली।	श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल (कांग्रेस)	(वापस लिया गया) ..	११—१४

घोषणा—

उपाध्यक्ष ने तिथि १४ अप्रील १९६४ को प्राक्कलन समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान द्वारा निर्वाचित हुए २५ सदस्यों के नामों तथा इस समिति के तिथि २८ मई १९६४ से कार्य प्रारंभ करने के संबंध में घोषणा की। १८

वाद-विवाद में प्रस्तावकों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया १५—४३

(१) श्री रउफुल आजम (स्वतंत्र)

(२) श्री घनश्याम सिंह (कांग्रेस)

(३) श्री रामानन्द सिंह (प्रसोपा)

(४) श्री किशोरी लाल साव (कांग्रेस)

(५) श्री तेज नारायण झा (साम्यवादी)

(६) श्री ठाकुर चितरंजन सिंह (कांग्रेस)
(७) श्री राम सेवक सिंह (समाजवादी)
(८) श्री शीतल प्रसाद भगत (कांग्रेस)
(९) श्री पार्वती चरण महतो (स्वतंत्र)
(१०) श्री शुभनाथ देवगम (कांग्रेस)
(११) श्रीमती यशोदा देवी (कांग्रेस)
(१२) श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह (कांग्रेस)
(१३) श्री जगदीश प्रसाद (जनसंघ)
(१४) श्री राम लखन सिंह यादव, मंत्री

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि०स०मु० (एल०ए०) ८—मोनो—७०१—२५-९-१९६५—रां०प्रा० कु० सि०

दैनिक निबन्ध।

(शुक्रवार, तिथि १७ अप्रील, १९६४।)

पृष्ठ।

ध्यानाकर्षण सूचना :

श्री गुठली सिंह, स० वि० स०, द्वारा करगहर प्रखंड के कम्पेनसेशन ऑफिसर द्वारा मालगुजारी वसूलने में की गई ज्यादती की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। सरकारी वक्तव्य के लिये तिथि २२ अप्रील १९६४ निश्चित की गई। १-२

ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य—

श्री अम्बिका सिंह, राज्य वित्त मंत्री ने वेतन पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन सम्बन्ध में एक सरकारी वक्तव्य दिया। २—४

श्री वीरचन्द पटेल, मंत्री ने पूर्णियां जिलान्तर्गत ग्राम भवानीपुर के मुखिया पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया गया वारन्ट के सम्बन्ध में एक सरकारी वक्तव्य दिया। ५-६

प्रश्न के सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्य—

श्री शिव शंकर सिंह, राज्य मंत्री ने उड़ीसा स्टील कारपोरेशन के सम्बन्ध में एक सरकारी वक्तव्य दिया। ७-८

आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर मतदान—

विषय।	प्रस्ताव।	परिणाम।	
सामुदायिक विकास योजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य।	श्री सुशील कुमार बागे, मंत्री..	स्वीकृत	८—१२

कटौती प्रस्ताव—

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।
राज्य के सामुदायिक विकास योजना ..	श्री कर्पूरी ठाकुर, स० वि० स०	अस्वीकृत १२—१८

इस मांग तथा कटौती प्रस्ताव पर हुमे वाद-विवाद में प्रस्तावकों के अतिरिक्त निम्न लिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री शुभ नाथ देवगम (कांग्रेस) .. .. .. १८—२०
(२) श्री कम्पा मुर्मू (कांग्रेस) .. .. .. २०—२२
(३) श्री वासुदेव प्रसाद सिंह (कांग्रेस) .. .. .. २२—२४
(४) श्री विशेश्वर खां (साम्यवादी) २४-२५
(५) श्री शिव राज प्रसाद (कांग्रेस) .. .. .. २५—२७
(६) श्री सरयू नन्दन प्रसाद सिंह (निर्दलीय) .. .. २७—२९
(७) श्री नरसिंह बैठा (कांग्रेस) .. .. .. २९—३३
(८) श्री अम्बिका नाथ साहदेव (स्वतंत्र) ३३-३४
(९) श्री युवराज (प्र० शो० पा०) .. .. .. ३४—३५
(१०) श्री शिव शंकर सिंह (राज्य मंत्री) .. .. .. ३५—३८

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०३ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि०स०मु० (एल०ए०) २४३—मोनो—८७१—२४-५-१९६५—ज० पंडित

दैनिक-निबन्ध।

(मंगलवार, तिथि २१ अप्रील १९६४।)

पृष्ठ।

ध्यानाकर्षण सूचना—

श्री मंगल प्रसाद यादव (कांग्रेस) ने सरकार का ध्यान चम्पारण जिले में सिकहरना नदी के द्वारा मेहसी प्रखण्ड में स्थित कठहा ग्राम के काटे जाने की ओर आकर्षित किया। १-२

बरौनी अंचल के आसपास के गांवों में भूमि-अर्जन से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का वक्तव्य। २—४

अध्यक्ष की घोषणा—

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा, ने संविधान के अनुच्छेद १८७ के अनुसार विधान-सभा सचिवालय की स्वाधीनता की घोषणा सदन में की। ४-५

आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर मतदान—

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।	
आरक्षी ..	श्री नवल किशोर सिंह (राज्य-मंत्री)	स्वीकृत	५—१०

कटौती प्रस्ताव—

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।	
राज्य का पुलिस प्रशासन।	श्री रामानन्द तिवारी ..	अस्वीकृत	१०—४५

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

(१) श्री रामानन्द तिवारी (संसोपा)।
(२) श्री मंगल चरण सिंह (कांग्रेस)।
(३) श्री रउफुल आजम (स्वतंत्र पार्टी)।
(४) श्री राम अवतार सिंह (साम्यवादी)।
(५) श्री विनोदानन्द झा (कांग्रेस)।
(६) श्री सीताराम महतो (संसोपा)।
(७) श्री बुद्धिनाथ सिंह (स्वतंत्र)।
(८) श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल (कांग्रेस)।
(९) श्री राम सेवक सिंह (संसोपा)।
(१०) श्री रघुनन्दन प्रसाद (स्वतंत्र पार्टी)।
(११) श्री नवल किशोर सिंह (राज्य-मंत्री)।

तत्पश्चात् उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित विषयों से संबद्ध मांगों को सदन के सामने रखा जिस पर सदन की स्वीकृति प्राप्त हुई :—	पृष्ठ
मांगों के विषय—वैज्ञानिक विभाग, विविध विभाग, कर विभाग, मुद्रांकन (Stamp), पंजीयन शुल्क, औद्योगिक विकास पर पूंजी-उद्व्यय, सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी-उद्व्यय, विद्युत् योजनायें, गाड़ियों पर कर, जन-स्वास्थ्य, पेंशन, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण, जमीन्दारी प्रथा के उन्मूलन पर जमींदारों को मुआवजा, राज्य उत्पादकर, अकाल साहाय्य, विविध सामाजिक एवं विकास-संघटन (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़ी जातियों का कल्याण), विविध सामाजिक एवं विकास संघटन (सांख्यिकी), विविध सामाजिक एवं विकास संघटन (विविध योजनायें), राज्य विधान-मंडल, विविध, विविध (जन-सम्पर्क विभाग), विविध (विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय), राष्ट्रीय संकट कालीन स्थिति १९६२ से संबद्ध व्यय, उपभोक्ता सहकारिता पर पूंजी-उद्व्यय, लोक-निर्माण-व्यवस्थापन, अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी-उद्व्यय, विविध (ग्राम पंचायत), पशुपालन, न्याय प्रशासन एवं कारा।	४५—५४
सदन की बैठक के सम्बन्ध में निर्णय	५४—५५

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

वि०स०मु० (एल० ए०) २५८—मोनो—८७१—१०-५-१९६५—ज० पंडित

दैनिक-निबंध।

(बुधवार, तिथि २२ अप्रील १९६४।)

पृष्ठ।

स्वीकृत विधेयक :

बिहार ऐप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १९६४ (१९६४ की वि० सं० १०)

उक्त विधेयक श्री अम्बिका सिंह, राज्य-मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापित होने के उपरान्त इस पर विचार का प्रस्ताव लाया गया एवं स्वीकृत हुआ। इस पर खंडशः विचार के उपरान्त इसकी स्वीकृति का प्रस्ताव उपस्थित किया गया एवं सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। १—२६ तथा ३२—५७

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

(१) श्री कामदेव प्रसाद सिंह (प्र० सो० पा०)।
(२) श्री बैद्यनाथ मेहता (कांग्रेस)।
(३) श्री रामपुकार सिंह (स्वतंत्र)।
(४) श्री रसिक लाल यादव (कांग्रेस)।
(५) श्री श्रीकृष्ण सिंह (समाजवादी)।
(६) श्री खूबलाल महतो (कांग्रेस)।
(७) श्री गौरीशंकर केसरी (जनसंघ)।
(८) श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (कांग्रेस)।
(९) श्री राज कुमार पूर्वे (साम्यवादी)।
(१०) श्री दीपनारायण चौधरी (कांग्रेस)।
(११) श्री बृजमोहन सिंह (स्वतंत्र)।
(१२) श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह (कांग्रेस)।
(१३) श्री कौलेश्वर दास (कांग्रेस)।
(१४) श्री वशिष्ठ नारायण सिंह (प्र० सो० पा०)।
(१५) श्री गोरख राय (कांग्रेस)।
(१६) श्री रामअवधेश सिंह (प्र० सो० पा०)।
(१७) श्री विश्वनाथ राय (कांग्रेस)।
(१८) श्री सुरेश चन्द्र यादव (स्वतंत्र)।
(१९) श्री यदुनन्दन झा (कांग्रेस)।
(२०) श्री तेजनारायण झा (साम्यवादी)।
(२१) श्री अम्बिका सिंह, (राज्य-मंत्री)।

ध्यानाकर्षण-सूचना :

श्री सूरज प्रसाद (साम्यवादी) ने डुमरांव नगरपालिका के गठन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में श्री डुमर लाल बैठा, राज्य-मंत्री ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया। २६—२८

ध्यानाकर्षण-सूचनाओं के संबंध में सरकारी वक्तव्य का स्थगन :

श्री वीरचन्द पटेल, मंत्री ने श्री गुठली सिंह एवं श्री मंगल प्रसाद यादव (कांग्रेस) द्वारा प्रदत्त ध्यानाकर्षण सूचनाओं के उत्तर क्रमशः अपूर्ण एवं तैयार नहीं होने के कारण उन पर के वक्तव्य को स्थगित कर दिया। २८

पृष्ठ ।

स्थगन-प्रस्ताव पर सरकारी वक्तव्य :

श्री नवल किशोर सिंह, राज्य मंत्री ने पटना शहर में डकैतियों से संबंधित श्री रउफुल आजम (स्वतंत्र) के स्थगन प्रस्ताव पर सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया । २८-२९

ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकारी वक्तव्य :

श्री डुमर लाल बैठा, राज्य मंत्री ने श्री चन्द्र राम (कांग्रेस) की हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब से संबंधित ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया । २९-३०

स्थगन-प्रस्ताव :

उपाध्यक्ष ने श्री कर्पूरी ठाकुर (प्र० सो० पा०) के स्थगन-प्रस्ताव को अस्वीकृत किया । ३०

प्राक्कलन समिति के लिये सभापति की नियुक्ति एवं समिति के कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि की घोषणा : ३०

उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष द्वारा श्री प्रभुनाथ सिंह (कांग्रेस) को प्राक्कलन समिति के सभापति नियुक्त किये जाने एवं इस समिति के तिथि २८ मई १९६४ से कार्य करने की सूचना सदन को दी ।

लोक-लेखा समिति के लिये सभापति की नियुक्ति एवं समिति के कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि की घोषणा : ३१

उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष द्वारा श्री योगेन्द्र महतो (कांग्रेस) को लोक-लेखा समिति के सभापति नियुक्त किये जाने एवं इस समिति के तिथि ३ मई १९६४ से कार्य करने की सूचना सदन को दी ।

आश्वासन समिति के लिये सदस्यों के मनोनयन सभापति की नियुक्ति एवं समिति के कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि के संबंध में घोषणा : ३१

उपाध्यक्ष ने उक्त समिति के लिये अध्यक्ष द्वारा मनोनीत १५ सदस्यों के नाम, श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल, उपाध्यक्ष को इस समिति के सभापति नियुक्त किये जाने एवं समिति के तिथि ८ मई १९६४ के उपरान्त कार्य करने के संबंध में सूचना सदन को दी ।

प्रत्यायुक्त विधान समिति के लिये सदस्यों के मनोनयन, सभापति की नियुक्ति एवं समिति के कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि के संबंध में घोषणा : ३२

उपाध्यक्ष ने उक्त समिति के लिये अध्यक्ष द्वारा १० सदस्यों के नाम, श्री मकबूल अहमद (कांग्रेस) को इस समिति के सभापति नियुक्त किये जाने एवं समिति के तिथि ९ मई, १९६४ से कार्य करने की सूचना सदन को दी ।

सत्रांत के अवसर पर अध्यक्ष का अभिभाषण : ५७

अध्यक्ष ने सत्रावसान के अवसर पर सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा की बैठक को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया ।

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

बि०स०मु० (एल० ए०) ३—मोनो—७२५—५-७-१९६५— सी०चौधरी